आ0सं0:–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–15/2026...........................दिनांक–

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सकारण आदेश

समस्तीपुर जिलान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, समस्तीपुर में अतिरिक्त 300 शैय्यावाले बालक छात्रावास (G+5), 200 शैय्यावाले बालक छात्रावास (G+3) दो अदद ब्लॉक, सहायक प्राध्यापकों के लिए Studio Apartment (G+3), Type C (G+5) (Guest ouse/Prof/ Asso./ Asst.Prof.) के निर्माण कार्य हेतु संवेदक मेसर्स पंकज कंस्ट्रक्शन (Reg No.-1220039 Class-I) प्रो.श्री अरविन्द कुमार सिंह, आवास सं.–118, गली नं०–15, महावीर स्थल, गौरक्षणी, सासाराम, रोहतास द्वारा एकरारनामा सं०–01SBD/2025-26 Dtd-07.04.2025 के माध्यम से एकरारनामा सम्पन्न कर कार्य को प्रारंभ किया गया।

2. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा उक्त कार्य का औचक निरीक्षण के क्रम में निर्माण स्थल पर नींव के ढलाई कार्य में लोकल बालू/मिट्टी डालकर ढलाई का कार्य करते हुए पाया गया। जिसकी सूचना उनके पत्रांक–1018, दिनांक–23.05.2025 द्वारा संवेदक को दी गयी एवं संवेदक द्वारा गलत/मिलावटी सामग्रीयों का उपयोग करने के आरोप में कराये गये सभी कार्यों की पूर्ण जाँच होने तक अगले किसी भी भुगतान पर रोक लगा दी गयी।

3. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर के पत्रांक–1124, दिनांक–06.06.2025 के आलोक में उक्त निर्माण कार्य की जाँच राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), पटना की एक टीम द्वारा की गयी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), पटना के पत्रांक–903, दिनांक–12.08.205 एवं पत्रांक–1097 दिनांक–24.09.2025 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें संवेदक द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता मानक से अत्यंत कम बताया गया।

4. उक्त कार्य की जाँच हेतु विभागीय पत्रांक–8147, दिनांक–01.09.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच दल द्वारा भी उक्त कार्यों का निरीक्षण दिनांक–03.09.2025 को किया गया। निरीक्षण के क्रम में Engineering college Samastipur के कार्यो के विभिन्न भवनों की जाँच के फलस्वरूप विभिन्न भवनों का Raft Foundation के Concrete का avg. Compressive Strength 5-15 N/mm^2 तक पाया गया, जो मानक से काफी कम है। जबकि निरूपण के अनुसार Raft Foundation के Concrete का न्यूनतम Compressive Strength 25 N/mm^2 तक होना चाहिए।

5. संयुक्त जाँच दल द्वारा किये गये निरीक्षण के उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन पर निर्णय लिये जाने हेतु मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया। जिसमें निर्णय लिया गया कि संवेदक द्वारा कराये गये नींव के कार्यो की गुणवत्ता मानक से अत्यन्त कम पाई गई है जो कि निर्माण हेतु अनुपयुक्त है एवं उक्त गुणवत्ता के नींव पर किये जाने वाला निर्माण कार्य भविष्य में उपयोग के लिए असुरक्षित होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा कराये गये कार्यो की गुणवत्ता मे कमी, गंभीर चूक की श्रेणी में आता है, जिसका सुधार संभव नहीं है। अतः उक्त सभी भवनों यथा 300 शय्या वाले बालक छात्रावास (G+5), 200 शैय्या वाले बालक छात्रावास (G+3) Block "A" & Block "B" सहायक प्राध्यापकों के लिए Studio Apartment (G+5) एवं Type C (G+5) (Guest House/Prof/Asso./Asst.Prof.) के नींव को तथा नींव के उपर के कार्यो को तोड़ते हुए सभी Debris को कार्य स्थल से दूर संवेदक अपने खर्च पर पर्यावरणीय अनुकूल ढ़ंग से पत्र प्राप्ति के 60(साठ) दिनों के अन्दर Dispose off करेंगे। Dismantled materials i.e. rubbish, stone chips, sand, reinforcements etc का पुनः उपयोग इस योजना में किसी भी रूप में नहीं किया जा सकेगा। यदि संवेदक द्वारा उक्त कार्य को तय समय सीमा में तोड़कर हटाया नहीं जाता है तो एकरारनामा के विखण्डन की स्थिति

मुख्य महाप्रबंधक कोषांग
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०
पत्र संख्या 1764
दिनांक 22/6/2026

का दायित्व का निर्धारण करते हुएं विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर राशि की वसूली संवेदक से की जायेगी। साथ ही अन्य विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी ।

6. समिति के उक्त निर्णय के विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेशवाद सं0–18668/2025 दायर किया गया । जिसमें दिनांक–04.12.2025 को oral order पारित किया गया कि:– "The present writ application has been preferred against the order dated 13.10.2025, issued by the Executive Engineer, Building Division, Samastipur, whereby the petitioner/contractor has been directed to demolish the constructed structure on the ground that it suffers from quality deficiencies as indicated in the test report of the National Institute of Technology, Patna.

(i) It has been submitted by learned counsel for the petitioner that a fresh test be conducted by an independent agency, namely, the Indian Institute of Technology, Patna. Learned Advocate General has no objection to the same.

(ii). In these circumstances, it is directed that a fresh test Patna High Court CWJC No.18668 of 2025(2) dt.04-12-2025 2/2 report in respect of the work executed by the petitioner shall be obtained from the Indian Institute of Technology, Patna, and submitted within a period of six weeks.

(iii). Till submission of the said report, no demolition shall be carried out at the site in question. During the conduct of the tests, the petitioner or his authorised representative shall remain present, and a copy of the report shall be supplied to the petitioner in advance".

7. माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में उक्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच IIT Patna से करायी गयी। जिसमें भी संवेदक द्वारा कराये गये कार्य की गुणवत्ता काफी निम्न पायी गयी।

8. उक्त कार्य के विरूद्ध विभिन्न गुणवत्ता संबंधी जाँच प्रतिवेदन में संवेदक द्वारा कराये गये कार्य की गुणवत्ता मानक से काफी निम्न पाये जाने के आधार पर कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर के पत्रांक–379, दिनांक–17.02.2026 के द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1437 दिनांक–24.02.2026 द्वारा संवेदक, Pankaj Construction,(Prop-Arvind Kumar Singh),House no-118, Gali No-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram, Rohtas-821115 को दोषी मानते हुए इनके विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के तहत कालीकृत करने हेतु अनुशंसा की गयी।

9. अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन/कालीकरण हेतु दिनांक–09.03.2026 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा संवेदक, Pankaj Construction, (Prop-Arvind Kumar Singh), House no-118, Gali No-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram, Rohtas-821115 (Reg.No.-BCD-1220039 Class-I) से एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया, साथ ही प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी सूचित करने का निर्णय लिया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक–2269(भ) दिनांक–09.03.2026 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी एवं पत्रांक–2312(भ)अनु०, दिनांक–10.03.2026 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया गया। तदोपरांत संवेदक द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक–13.03.2026 को समर्पित किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि भवन निर्माण विभाग के निर्देशानुसार उक्त सभी भवनों के नींव को एवं नींव के उपर के कार्यो को तोड़ते हुए सभी Debris को कार्य स्थल से दूर अपने खर्च पर पर्यावरणीय अनुकूल ढंग से Dispose off किया जा रहा है तथा Dismantled Materials i.e, rubbish, stone chips, sand, reinforcements etc. का पुनः उपयोग इस योजना में किसी भी रूप में नहीं किया जा रहा है। उक्त सभी कार्य अपने निजी व्यय पर विभागीय ... जा रहा है। जिसे शीघ्र ही पूरा कर दिया जायेगा ।

10. अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन/कालीकरण हेतु दिनांक–19.03.2026 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा संवेदक, Pankaj Construction (Prop-Arvind Kumar Singh), House no-118, Gali No-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram से प्राप्त स्पष्टीकरण पर गहन समीक्षा की गयी। समिति द्वारा समीक्षोपरांत संवेदक को दोषी मानते हुए इनके निबंधन को दस (10) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) करने का निर्णय लिया गया। तदालोक में विभागीय आदेश सह–पठित–ज्ञापांक–2772(भ) दिनांक–20.03.2026 द्वारा संवेदक, Pankaj Construction (Prop-Arvind Kumar Singh),House no-118, Gali No-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram, Rohtas-821115 (Reg.No.-BCD-1220039 Class-I) को आदेश निर्गत होने की तिथि से दस (10) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया गया।

11. उक्त ओदश के विरूद्ध संवेदक के पत्रांक–53 दिनांक–15.04.2026 द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपील दायर किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि विभाग के निर्देशानुसार उक्त सभी भवनों के नींव को एवं नींव के उपर के कार्यो को तोड़ते हुए सभी Debris को कार्यस्थल से दूर करने की कार्रवाई किया जा रहा है। जल्द ही उक्त सभी भवनों का निर्माण कार्य गुणवत्ता मानक के अनुरूप प्रारंभ करा दिया जायेगा।

उक्त अपील अभ्यावेदन के क्रम में दिनांक–29.05.2026 को सुनवाई निर्धारित की गयी, जिसमें संवेदक उपस्थित हुए। सुनवाई के क्रम में भी संवेदक द्वारा विभाग के निर्देशानुसार उक्त सभी भवनों के नींव एवं नींव के उपर के कार्यो को तोड़ते हुए अपने निजी व्यय पर सभी Debris को कार्यस्थल से दूर करने के साथ–साथ जल्द ही उक्त सभी भवनों का निर्माण कार्य गुणवत्ता मानक के अनुरूप प्रारंभ कराने की बात को स्वीकार किया गया।

12. उक्त अपीलीय सुनवाई में मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा भी अवगत कराया गया कि संवेदक द्वारा कराये गये नींव से संबंधित कार्यों की जाँच (भुगतान से पूर्व) कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा NIT Patna से कराया गया। जिसमें कराये गये कार्यों की गुणवत्ता मानक से काफी निम्न पाया गया। तत्पश्चात् भवन निर्माण विभाग के उड़नदस्ता दल द्वारा भी विषयांकित कार्यों की जाँच करायी गयी, जिसमें भी कार्यों की गुणवत्ता मानक से काफी निम्न पाई गयी। उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में मुख्य अभियंता (उत्तर),भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा कराये गये सभी निर्माण कार्य को तोड़ने एवं वातावरणीय अनुकूल ढंग से इसका निष्तार कराते हुए पुनः निर्माण हेतु संवेदक को निदेश दिया गया, जिसके विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेशवाद सं०–18668/2025 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कराये गये कार्यों की जाँच IIT Patna से कराने का निदेश दिया गया। IIT Patna के जाँच प्रतिवेदन में भी कराये गये कार्यों की गुणवत्ता मानक से काफी निम्न पाया गया।

इस प्रकार संवेदक द्वारा इतने महत्वपूर्ण कार्य को मानक विशिष्टियों एवं गुणवत्ता पूर्ण ढंग से नहीं करना, उनके कार्य के प्रति लापरवाही एवं तकनीकी अक्षमता को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक, Pankaj Construction (Prop-Arvind Kumar Singh),House no-118, Gali No-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram, Rohtas-821115 को कालीकृत किये जाने संबंधित अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दिये गये आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

ह0/–
(प्रणत कुमार)

मुख्य महाप्रबंधक
बि०रा०भ०नि०नि०लि०, पटना

ज्ञापांक–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–15 / 2026........................ पटना,दिनांक–

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपिः–संवेदक, Pankaj Construction,(Prop-Arvind Kumar Singh),House no-118, Gali No-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram, Rohtas-821115 (Reg.No.-BCD-1220039 Class-I) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–15 / 2026 5620(भ)........ पटना,दिनांक– 18/6/26

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / ऊर्जा विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना / मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता,भवन निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव
16/6/26